हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 85

मंगलवार, 25 अगस्त, 2015/3 भाद्रपद, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने कहा कि मैंने पिछले कल नियम-67 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसमें माननीय मुख्य मन्त्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का ज़िक्र है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त है और वहां से इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस नोटिस पर आपने क्या निर्णय लिया। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका नोटिस उत्तर के लिए सरकार को भेजा गया है। उन्होंने प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष के हस्तक्षेप करने पर आगे कहा कि यह मामला करप्शन का नहीं है इसलिए इस पर नियम 67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है। आज के लिए नियम-130 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, आप उसमें इस बारे पासिंग रिफ्रेंस कर सकते हैं।

<u>11-20 AM</u>

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1625, 1795 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए व सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2246 से 2299 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 779 व 887 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 986 से 1004 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, **1974** की धारा **39**(**2**) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष **2013-14** (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) अधिनियम, **2010** की धारा **13** (**1**) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष **2013-14**;

(iii) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, **2000** (**2000** का अधिनियम संख्यांक **11**) की धारा **8** और **9** के साथ पठित धारा **15** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के मोटरकार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम (संशोधन) नियम, **2015** जोकि अधिसूचना संख्याःजी**0**ए**0**डी**0**-सी (पीए)-**4-2/2003-11** दिनांक **29-05-2015** द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक **04-06-2015** को प्रकाशित; और

(iv) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, **2000** (**2000** का अधिनियम संख्यांक **11**) की धारा **14** के साथ पठित धारा **15** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशेधन) नियम, **2015** जोकि अधिसूचना संख्याः जी**0**ए**0**डी**0**-सी (पीए)-**4-2/2003** दिनांक **29-05-2015** द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक **04-06-2015** को प्रकाशित।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री**, ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संवीधान के अनुच्छेद **309** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, आचार्य(इंजीनियरिंग),वर्ग-**1**(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)-ए(**3**)-25/2012 दिनांक 03-04-2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05-04-2014 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संवीधान के अनुच्छेद **309** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अनुदेशक (बहुतकनीकी) वर्ग-**III** (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)- ए(3)2/2010 दिनांक 16-05-2015 द्वारा अधिसूचति तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07-07-2015 को प्रकाशित; और

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(A)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम समिति का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14.

12-03-00 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **107वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **108वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 48वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **109वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिंफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **14वां कार्रवाई** प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 5वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **40वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **41वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3.5 से 3.10 तक की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16),** ने समिति का **19वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12-05-00 PM

4. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव**ः

श्री रविन्द्र सिंह व श्री वीरेन्द्र कंवर ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1) श्री महेन्द्र सिंह
2) श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव
3) श्री महेश्वर सिंह
4) श्री सतपाल सिंह सत्ती
5) श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
6) श्री बिक्रम सिंह
7) श्री रणधीर शर्मा
8) श्री बम्बर ठाकुर
9) श्री हंस राज

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(मुख्य मन्त्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होकर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उत्तर के दौरान ही अपराह्न 4.45 बजे सदन से वॉक आउट किया)

माननीय मुख्य मन्त्री ने वॉक आउट के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की तथा कहा कि विपक्ष का यह वॉक आउट प्रीडिज़ाईन्ड था तथा उनमें तथ्यों को सुनने की हिम्मत नहीं है।

(अपराह्न 5.00 बजे सदन की बैठक अपराह्न 5.15 बजे तक बढ़ाई गई)

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा की उत्तर पूरा किया।

(सदन की बैठक अपराह्न 05.15 बजे बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)